गहलोत ने 40 लाख महिलाओं को रक्षाबंधन से मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की

प्रदेश में 2600 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल व आरओबी निर्माण की घोषणा

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राजस्थान की 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा विधानसभा में की है। मजेदार बात यह है कि गहलोत ने गत वर्ष भी चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को 1 करोड़ 35 लाख निःशुल्क स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के साथ बांटने की घोषणा की थी, लेकिन वे मोबाइल आज तक नहीं बांटे गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या चुनावी वर्ष में गहलोत ने महिला वोटबैंक को लुभाने के लिए यह फैसला किया है।

शुक्रवार को विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गहलोत ने दावा किया कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण में रक्षाबन्धन पर्व से 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए बाजारों में 500 सुलभ शौचालय बनेगा।

- **जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में 100-100 करोड़ रु. से विकास कार्यों की घोषणा**
- **तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन करने की भी घोषणा**
- **जबकि पिछली बजट की घोषणा के 1.35 करोड़ स्मार्टफोन आज तक नहीं बांटे गए**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2600 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, पुल व आरओबी निर्माण व उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर के गोविन्ददेवजी मन्दिर का विकास किया जाएगा। साथ ही, तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास के लिए पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में पैनोरमा निर्माण होगा, 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देवस्थान के मंदिरों में पुजारियों का वेतन अब पांच हजार रूपए मिलेंगे। करीब 75 करोड़ की लागत से एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पार्किग निर्माण होगा। ऐसे गांव जहां 250 की आबादी हैं, वहां पर डामर सड़क बनेंगी। स्टेट टोल पर फास्ट ट्रेक कार्ड लगेगा। प्रत्येक विधानसभा में 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। जयपुर में हैरिटेज इलाके में 200 करोड़ की लागत से नई सीवरेज लाइन डाली जांएगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिलों के 8 कस्बों तथा 1473 गांवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स संचालित किए जाएंगे, ताकि कोरोनाकाल के दौरान हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। इससे 70 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। साथ ही स्कूली शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन करने की घोषणा की। 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय व विषय प्रारंभ किए जाएंगे। शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को 2 सेट निःशुल्क यूनीफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा साथ ही, 6843 शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) भर्ती किए जाएंगे। कार्मिकों को मई 2023 से सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में मूल वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा।

वकीलों ने जलाई एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की कॉपी

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में वकीलों में शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर बिल की होली जलाई।

जयपुर, (का.सं.)। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में वकीलों के खिलाफ कोर्ट परिसर में ही अपराध होने पर ही उन्हें इस कानून का संरक्षण देने और उनके खिलाफ क्लाइंट की ओर से मुकदमा दायर करने की छूट देने के प्रावधान के विरोध में वकीलों ने बिल में संशोधन की मांग की है। इसे लेकर भाजपा से जुडे कुछ वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर प्रोटेक्शन बिल की कॉपी जलाई। वहीं संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुए सूचना जारी की है कि यदि संघर्ष समिति की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अतिरिक्त यदि किसी अधिवक्ता की ओर से कोई अन्य कार्यक्रम या गतिविधि की गई तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

- **'तय कार्यक्रम के अलावा कुछ किया तो संघर्ष समिति करेगी कार्रवाई'**

संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक व दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने बताया कि बिल में संशोधन के लिए संघर्ष समिति की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार से बिल में संशोधन वाले बिन्दुओं पर वार्ता करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कई वकील हाईकोर्ट के गेट नंबर दो से लेकर चार नंबर गेट तक इकट्ठा हो गए। इसके बाद वकील अंबेडकर सर्किल की ओर बढने लगे तो पुलिस ने उनकी समझाइश कर वापस भेजा। विधि मंत्री से बीसीआर चेयरमैन ने की वार्ता- बिल में जरुरी संशोधनों के लिए बीसीआर चेयरमैन घनश्याम सिंह राठौड और एएजी डॉ. विभूति भूषण शर्मा ने विधि मंत्री शांति धारीवाल से वार्ता की। मंत्री धारीवाल ने उन्हें और संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को शनिवार को प्रमुख विधि सचिव के साथ वार्ता करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गत 15 मार्च को विधि मंत्री की ओर से विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल रखा गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि वकील के खिलाफ अदालत परिसर में अपराध होने पर ही प्रोटेक्शन एक्ट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिल में क्लाइंट को भी वकील के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है।

जयपुर के सीकर रोड पर शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बीच गुजरते वाहन। आसमान में छाए काले बादलों व आंधी-बारिश के कारण शाम को साढ़े 5 बजे ही अंधेरा छाया।

गायत्री देवी आदर्श थीं : दीया कुमारी

जयपुर। राजमाता गायत्री देवी न केवल मेरे लिए बल्कि इस देश और विश्व भर में कई लोगों के लिए एक आदर्श थीं। व्यापक रूप से अपने आकर्षण और सुंदरता के लिए जानी जाने वाली, वह एक खूबसूरत इंसान भी थीं। सांसद दीया कुमारी ने डीयू लिट फेस्ट में कहा कि वे लड़कियों की शिक्षा के प्रति जुनूनी थीं और उन्होंने 1940 के दशक में स्कूलों और खेल संस्थानों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि "वह अपने समय से बहुत आगे थीं, एक महिला जिसने घोड़ों की सवारी की, बैडमिंटन और टेनिस खेलीं, गोल्फ क्लब और टेनिस क्लब शुरू किया।

राइट टू हैल्थ बिल को लेकर फिर विवाद गहराया

- **निजी अस्पतालों ने शनिवार सुबह से सरकार योजनाओं का बहिष्कार व शाम आठ बजे से 21 मार्च तक सम्पूर्ण मेडिकल बंद का ऐलान किया**

जयपुर। राइट टू हैल्थ बिल को लेकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर और सरकार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बिल के विरोध में डॉक्टरों का एक दड़ा पहले ही सरकारी योजनाओं का बहिष्कार कर रहा है, वहीं अब दूसरा दड़ा भी शुक्रवार देर रात को सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाकर हड़ताल में उतर आया।

डॉक्टरों की जॉइट एक्शन कमेटी के मीडिया चेयरमैन डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ वार्ता में जो समझौता हुआ था उसकी सरकार के आला अधिकारी पालना नहीं कर रहे हैं। इस वादाखिलाफी के आक्रोशित होकर जॉइट एक्शन कमेटी ने शनिवार सुबह आठ बजे से चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है।

कैदियों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी गठन का आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कैदियों की शैक्षिणक व्यवस्था में सुधार और जेल में नए वोकेशनल कोर्स शुरू करने के संबंध में सुझाव देने के लिए कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि कमेटी तीन माह में अपनी सिफारिश राज्य सरकार के समक्ष पेश करे। एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश परमेश्वरी देवी की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आधुनिक समय में रोजगार के अवसरों में कंप्यूटर शिक्षा सहित अन्य विशेष शैक्षणिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन्हें लागू करना जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

याचिका में कहा गया कि कैदियों को दी जाने वाली शिक्षा में समयानुसार बदलाव किया जाना चाहिए। वर्तमान में कैदियों को पुराने आईटीआई डिप्लोमा और कुर्सी बनना सहित अन्य वोकेशनल कोर्स कराए जा रहे हैं, लेकिन अब इनका कोई उपयोग नहीं है। इन कोर्स की जगह पर नर्सिंग और एलएलबी सहित अन्य व्यावसायिक कोर्स कराए जाने चाहिए। याचिका में कहा गया कि बढ़ते कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलीकरण के चलते इन कोर्स को ऑनलाइन कराया जा सकता है। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कंप्यूटर उपकरणों की कमी के कारण डिजिटल माध्यम से कैदियों को शिक्षा देना संभव नहीं है। इसके अलावा नर्सिंग व एलएलबी नियमित कोर्स होने के कारण जेल में कैदियों के लिए नहीं कराए जा सकते। हालांकि विधिक सेवा प्राधिकरण व कई एनजीओ की ओर से इस तरह के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।

लोकेंद्र सिंह कालवी को श्रद्धांजलि

जयपुर। जी एस फाउंडेशन द्वारा श्री राजपूत करणी सेना के शीर्ष संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी की स्मृति में झोटवाड़ा स्थित गणेश मंदिर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्री राजपूत करणी सेना, शौर्य फाउंडेशन, गजेंद्र सेवा संस्थान सहित कई सामाजिक संगठन पदाधिकारी और अनेक लोग उपस्थित हुए और स्वर्गीय कालवी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की।

सतीश पूनियां का आज दुबई प्रवास

जयपुर। विभिन्न प्रवासी भारतीय एवं राजस्थानी संगठनों के आमंत्रण पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां शनिवार को दुबई प्रवास पर रहेंगे, इस दौरान वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह जानकारी भाजपा प्रवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजू मंगोड़ीवाला ने दी।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

'स्वच्छ भारत मिशन की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही'

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन (आईएसडब्ल्यू) कार्यकारिणी सदस्यों ने सीडीसी ट्रस्ट प्रबंधन की अगुवाई में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां से उनके जयपुर स्थित निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

सीडीसी ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से ट्रस्ट के सचिव डॉ. विवेक अग्रवाल, सीईओ सिद्धांत अग्रवाल, मुख्य वित्त अधिकारी शिवांगी सुल्तानिया, इस्वा उपाध्यक्ष अरने रेगोशनिग, प्रबंध निदेशक मार्क, तेल अवीव (इजरायल) डिप्टी मेयर डोरेन सपिर, निदेशक अदिति रमोला, बोर्ड सदस्य ऐना लोरिया, हो डी लियोंग, जेम्स ला, वित्त अधिकारी नैंसी स्ट्रेंड उपस्थित रहीं,इस दौरान जयपुर ग्रेटर नगर निगम डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट भी उपस्थित रहे। कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा विभिन्न देशों में ठोस कचरा प्रबंधन में किए जा रहे विभिन्न कार्यों के बारे में अवगत कराया जयपुर जिले के आमेर में सेवापुरा लैंडफिल साइट की स्वच्छता के बारे में और इसके रिक्लेमेशन को जल्दी करने के लिए संभव उपायों के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान तेल अवीव के डिप्टी मेयर डोरेन सपिर ने पूनियां से एक प्रतिनिधिमंडल अपने यहां भेजने का अनुरोध किया, जिससे वहां किए जा रहे लैंडफिल मैनेजमेंट कार्यों को राजस्थान में भी किया जा सके और भविष्य में यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकसित की जा सके। अंतरराष्ट्रीय सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के लिए एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां से भेंट की।

सतीश पूनियां ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को भाजपा की सरकार बनने पर 2023 में एक व्यवस्थित ब्लूप्रिंट के साथ कार्ययोजना बनाकर राजस्थान में प्राथमिकता से लागू करेंगे और वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने पर हमारा विशेष ध्यान होगा।उन्होंने कहा कि, भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेशभर के निकायों की आमदनी बढ़ाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काम किया जाएगा। इस दौरान संवाद के दौरान सतीश पूनियां ने डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावट से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कार्ययोजना बनाने और सेवापुरा कचरा प्रबंधन के निस्तारण को लेकर चर्चा की। सतीश पूनियां ने प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2014 से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर संवाद किया और इसी के साथ राज्य में सुचारू कचरा प्रबंधन की नीति एवं आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने आमेर के सेवापुरा कचरागाह की भयावहता एवं उससे हो रहे स्वास्थ्य पर दुष्परिणामों पर चिंता जाहिर की। आईएसडब्ल्यू कार्यकारिणी ने सेवापुरा को पायलट प्रोजेक्ट बनाने पर सहमति जाहिर की, साथ ही आईएसडब्ल्यू उपाध्यक्ष ने राजस्थान में ठोस कचरा प्रबंधन कार्ययोजना निर्माण एवं निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रशिक्षण हेतु आईएसडब्ल्यू के समर्थन का आश्वासन दिया। तेल अवीव के डिप्टी मेयर डोरेन सपीर ने सतीश पूनियां से आग्रह किया कि सीडीसी द्वारा अपने एक प्रतिनिधिमंडल को तेल अवीव भेजें, ताकि वहां किए जा रहे लैंडफिल मैनेजमेंट कार्यों को राजस्थान में भी किया जा सके।

आम सूचना मैं सीताराम शर्मा s/o श्री मंगलराम शर्मा निवासी- 137, हथरोई बावड़ी, अजमेर रोड, जयपुर का हूं तथा दिनांक 10.03.2023 को मैं अपने घर से रामनगर सोडाला में अपनी गाड़ी से जा रहा था तो रास्ते में मेरा थैला जिसमें दिनांक 11.03.2019 का एक हजार रुपये का खाली इकरारनामा किया हुआ स्टाम्प पेपर जिस पर मेरा व मेरे बच्चे राजेन्द्र, विनोद, रामकुमार के साइन किए हुए थे जो रास्ते में कहीं गिर गये। यह आज दिनांक 17/3/2023 के बाद मान्य नहीं होगा। प्रार्थी- सीताराम शर्मा मो.- 9214493136

आम सूचना दिनांक :17.03.2023
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दशरथ सिंह पुत्र श्री शम्भु सिंह तंवर पता-ग्राम- चूडला,पोस्ट- सांवलपुरा तंवरान, तहसील- श्री माधोपुर, जिला- सीकर (राज.) हाल निवासी 28, डी, गंगा विहार कॉलोनी, वी.के.आई.ए. रोड नम्बर 17, जयपुर ने अपने पुत्र करण सिंह एवं पुत्र वधु पूजा कंवर को अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति से आज दिनांक से बेदखल कर दिया है। क्योंकि मेरे अभिभाष्य का पुत्र एवं पुत्रवधु कहने में नहीं है तथा उक्त दोनों मेरे अभिभाष्य एवं उसकी पत्नी के साथ आये दिन लडाई झगडा करके हैरान व परेशान करते हैं। यदि आज के बाद उक्त व्यक्तियों को भी व्यक्ति एवं संस्था लेन देन संव्यहार करते है तो व स्वयं जिम्मेदार होगें, इसमें मेरे अभिभाष्य एवं उसकी पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
(रमेश कुमार विमल) एडवोकेट
ए-1, नियर गांधी सर्कल, हीदा की मोरी, रामगंज, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/3246 दिनांक-17.03.2023
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 5/60 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 112.50 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री रवि भूषण भल्ला पुत्र श्री चिमन लाल भल्ला को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 898 दिनांक 07.06.1989 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 05.07.1989 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 499 दिनांक 18.04.1992 के द्वारा श्री रवि भूषण भल्ला पुत्र श्री चिमन लाल भल्ला के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 28.07.1992 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री रवि भूषण भल्ला की मृत्यु दिनांक 29.12.2022 को हो जाने के कारण इनके पुत्र श्री आशीष भल्ला पुत्र स्व. श्री रवि भूषण भल्ला ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं वसीयतनामा प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्री आशीष भल्ला पुत्र स्व. श्री रवि भूषण भल्ला के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचनाउप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सुरेश कुमार छीपा पुत्र स्व. श्री जगदीश नारायण छीपा, निवासी-प्लॉट नं. 10, दिनेश कॉलोनी, कंवर का बाग, सांगानेर, जयपुर राजस्थान का पुत्र पवन सोहणियाँ मेरे अभिभाष्य के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलोच करता है तथा मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है जिस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से अपने पुत्र पवन सोहणियाँ को बेदखल करता है। अब पवन सोहणियाँ का मेरे अभिभाष्य की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है यदि कोई व्यक्ति इसे किसी प्रकार का कोई लेन देन या संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह वय जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
दिनांक- (बलवीर सिंह), एडवोकेट, मो. 9351303390

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/3260 दिनांक-17.03.2023
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 82/32, मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 120.00 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री राजीव धीर पुत्र स्व. श्री एन.के. धीर को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3712 दिनांक 21.07.1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 20.02.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1878 दिनांक 30.03.1998 के द्वारा श्री राजीव धीर पुत्र व. श्री एन.के. धीर के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वय के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 28.11.1995 को करवाया गया। श्री राजीव धीर पुत्र स्व. श्री एन.के. धीर के द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र के श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री मुरलीधर सोनी को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के विक्रय प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 26.09.1996 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री राधेश्याम सोनी की मृत्यु दिनांक 14.09.1998 को हो जाने के कारण इनकी पुत्री/दोहिता श्रीमती हेमा शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा एवं श्री विश्रुत शर्मा पुत्र स्व. श्री के.के. शर्मा ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती हेमा शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा एवं श्री विश्रुत शर्मा पुत्र स्व. श्री के.के. शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचनाउप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id: dhcjpr2.rhb@rajasthan.gov.in. Phone No. 0141-2782772
क्रमांक- DHC-II/3205 दिनांक-16.03.2023
जाहिर आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 76/53 मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 114.267 वर्गमीटर/वर्गगज का आवंटन श्री दिनेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री विष्णु प्रसाद उपाध्याय को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 120 दिनांक 07.04.2000 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 07.04.2000 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 467 दिनांक 27.04.000 के द्वारा श्री दिनेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री विष्णु प्रसाद उपाध्याय के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 01.05.2000 को करवाया गया। इसके पश्चात श्री दिनेश कुमार उपाध्याय की मृत्यु दिनांक 10.08.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती राधा रानी उपाध्याय पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार उपाध्याय ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र एवं हकत्याग प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है।
अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती राधा रानी उपाध्याय पत्नी स्व. श्री दिनेश कुमार उपाध्याय के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी।उक्त जाहिर आम सूचना उपआवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

खोया-पाया

मेरे आवास संख्या 30/23/7, वरुण पथ मानरोवर का अलोटमेंट लेटर, पजेशन लेटर खो गये है मिलने पर सूचित करें। मो.-9509676354

मेरे आवास संख्या 30/23/6, वरुण पथ मानसरोवर का पजेशन लेटर कहीं खो गया है मिलने पर सूचित करें। मो.9461106354

जेडीए की योजना मालवीय नगर के भूखण्ड संख्या बी-525, के जेडीए से जारी अलोटमेंट लेटर खो गया है सूचित करें। हिमांशु राय मो. 9414551075

प्लॉट नं. 11-ए, शक्ति विहार कॉलोनी, कल्याणपुरा सांगानेर जयपुर-302029 (राजस्थान) के कागज, रसीद, अलोटमेंट पत्र, नक्शा कहीं खो गया है। मिलने पर संपर्क- कृष्णा लड़ीवाल पत्नि विजय लाड़ीवाल मो.-9782500789

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी
क्रमांक-2695 दिनांक-15.02.2023
आवश्यक सूचना
मूलतः आवास संख्या 3/99 पुरानी कॉलोनी, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाडी श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा को आवंटन पत्रांक 3468 दिनांक 17.09.1988 के द्वारा आवंटित किया गया था। इनके द्वारा उक्त आवास को बेचान उपरान्त मण्डल द्वारा पश्चातवर्ती अन्तिम क्रेता श्रीमती नीलम गुप्ता के पक्ष में पंजीयन हेतु अदेय प्रमाण पत्र संख्या 3872 दिनांक 22.03.2010 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 21.04.2010 को उप पंजीयक कार्यालय भिवाडी में पंजीकृत करवाई जा चुकी है। श्रीमती नीलम गुप्ता की मृत्यु दिनांक 08.06.2022 को हो चुकी है।
श्री अनिल कुमार गुप्ता ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्रीमती नीलम गुप्ता की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रस्तुत कर निवेदन किया है उनकी पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 08.06.2022 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 3/99 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हतान्तरण उनके नाम किया जाये।
अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त मकान संख्या 3/99 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियों, भाई व अन्य किसी रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाडी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द गुप्ता के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 3/99 पुरानी कॉलोनी, भिवाडी जिला अलवर का पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
(पी.एल. मीणा)
आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाडी

NAME CHANGE

I have change my name from Manoj Kumar Bhawka to Manoj Bhawka. In furure known me Manoj Bhawaka S/o Gouri Shankar Bhawka R/o 03, Prem Nagar, Jhotwara, Jaipur-302012

I army no 2996274H Ex Hav veer singh shekhawat S/o Shaitan singh shekhawat R/o village bahadurpura post jaisinghpura teh viratnagar dist jaipur that I have changed my daughter name from Punam Kanwar is wrong entered in service record To Poonam Kanwar vide affidavit dated 13.03.2023 before district notary jaipur.

मैंने मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान (Mohammed Abid Khan) से बदलकर मोहम्मद आबिद (Mohammed AAbid) पुत्र अब्दुल हमीद खान रख लिया, भविष्य में मुझे मोहम्मद आबिद (MohammadAAbid) नाम से जाना जावें, 16, सीताराम कॉलोनी बांस बदनपुरा, जयपुर

मैंने मेरा नाम भानू प्रिया लखानी पुत्री खुशाल लखानी से विवाहोपरान्त बदलकर वानी नारवानी पत्नी दीपक नारवानी रख लिया है, भविष्य में मुझे वानी नारवानी के नाम से जाना जावें पता-224, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड, जयपुर

मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम देवेन्द्र कुमार खण्डेलवाल पुत्र हरि कृष्ण खण्डेलवाल है वास्तविक नाम देवेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र हरि कृष्ण खण्डेलवाल है भविष्य में इसी नाम से जाना जाये। 29, सुदामा नगर, तरू छाया रोड, टोंक रोड, जयपुर।

कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता भरतपुर
(261 राजेन्द्र नगर, भरतपुर)
e-mail:- adicps.btp@rajasthan.gov.in Phone No. 05644-220331
क्रमांकः-icps/2022-23/2217 दिनांकः 17.03.2023
खुली निविदा सूचना संख्या
जिला कार्यालय में कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं इलैक्ट्रॉनिक सामान (ए.सी. वाटर डिस्पेंशर, स्मार्ट एलईडी टी.वी.) एवं इर्न्वटर क्रय हेतु जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/बोनाफाइड विर्निमाता/पंजीकृत डीलर एवं प्राधिकृत राजस्थान लघु उद्योग लिमिटेड से पंजीकृत फर्मों से मौहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि (अमानत लागत का 2 प्रतिशत)	निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि व समय	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	निविदा प्रपत्र खोलने की दिनांक व समय
1	3.70	500/- रूपये	7400/- रूपये	17.03.2023 को प्रातः 9.30 से	22.03.2023 को शाम 5 बजे तक	24.03.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक	24.03.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक

निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं SPPP Portal पर उपलब्ध हैं।

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण ईकाई
एवं बाल अधिकारिता विभाग